न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 202/06 (48/2003) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रामस्वरूप पुत्र कबूलचन्द जाति सैनी हाल साकिन तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 जसवन्त पुत्र बाबूलाल जाति सैनी निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

2. बंशीलाल पुत्र मूलचन्द जाति सैनी निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,तिजारा दिनांक 31.1.2003

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0 सं0 2 :– श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 1.10.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उप जिला कलेक्टर, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 220/02 (36/98) में पारित निर्णय दिनांक 31.1.2003 के खिलाफ है, जिसके

1/10/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

द्वारा वादी का वाद बाबत इश्तकरारहक व हुकम इम्तनाई दवामी खारिज किया गया था ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि वादी, वादी के भाई बाबूलाल तथा वादी के पिता कबूलचन्द ने शामलात में आराजी खसरा नम्बर 1052 रकबा 3 बीघा, 1032 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 1003 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 1006 रकबा 11 बिस्वा, 1011 रकबा 19 बिस्वा, 1020 रकबा 13 बिस्वा, 1022 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1023 रकबा 1 बीघा, 1022 रकबा 1 बीघा, 1024 रकबा 8 बिस्वा, 1025 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1026 रकबा 1 बीघा, 1027 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1009 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 1010 रकबा 3 बिस्वा, 1029 3 बिस्वा, 1014 रकबा 6 बिस्वा, 1015 रकबा 11 बिस्वा, 1018 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 1013 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 19 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा तोतीबाई बेवा टिक्कन राम जाति खत्री से दिनांक 19.4.63 को बराबर बराबर हिस्से में खरीदी थी । इस प्रकार वादी का उपरोक्त आराजी में जरिये बयनामा तीसरा हिस्सा निहित है । वादी के पिता कबूलचन्द की मृत्यु के बाद वादी के भतीजे जसवंत पुत्र बाबूलाल ने कबूलचन्द द्वारा लिखित शपथ पत्र के आधार पर वसीयत रजिस्टर्ड कराकर आराजी खसरा नम्बर 1871 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, 1876 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 1879 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 1880 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 1883 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा का इंतकाल संख्या 1848 अपने नाम दर्ज करा लिया । इस इंतकाल को वादी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर के यहां चुनौती दी । अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर के यहां वादी एवं प्रतिवादी के बीच राजीनामा हो गया । उक्त राजीनामा में यह तय पाया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1871, 1876 प्रतिवादी के नाम दर्ज करा देंगे और आराजी खसरा नम्बर 1879, 1880, 1883 का इंतकाल वादी के हम में दर्ज करा देंगे । इसके बाद प्रतिवादी टालमटोल करता रहा और राजीनामा की पालना नहीं की । इस बीच प्रतिवादी ने इंतकाल नम्बर 1848 की आड में वादी के खसरा नम्बर 1879, 1880, 1883 को बेचने की फिराक में है । इसलिये यह दावा किया गया है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलधीन निर्णय द्वारा वादी का उक्त वाद खारिज किया है, जिसके खिलाफ वादी ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

11/10/17

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि प्रतिवादी ने तहत न्यायालय में उपस्थित होकर मेरी हुकमइम्तनाई दवामी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया और उसने निवेदन किया कि वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है । जब प्रतिवादी ने मेरे प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर लिया था तो तहत न्यायालय को वाद डिक्री करना चाहिये था । प्रतिवादी जवाब प्रस्तुत करने के बाद तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था । साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जब प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित होकर जिरह नहीं करता है तो यही माना जावेगा कि उसने वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और स्वीकार किये गये तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है । परन्तु फिर भी मैंने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित कराया है, जिस ओर विद्वान तहत न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया और विधि विरूद्ध वाद पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 02 का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1879, 1880, 1883 के 1/2 भाग का सौदा मैंने खातेदार रेस्पो0 संख्या 01 जसवन्त से किया था, परन्तु उसने मेरे पक्ष में बयनामा नहीं कराया । इसलिये मैंने न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कम संख्या 02 किशनगढबास में तकमील मुहायदा बय का दीवानी वाद संख्या 1/98 प्रस्तुत किया था, जिसकी डिक्री दिनांक 23.4.2004 को मेरे पक्ष में पारित हुई थी और उस डिक्री की पालना में विवादित आराजी के 1/2 भाग का बयनामा दिनांक 19.7.2004 को रेस्पो0 संख्या 01 जसवन्त पुत्र बाबूलाल ने पंजीकृत कराया था । इस बयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 3042 मेरे पक्ष में स्वीकार हो चुका है और राजस्व रेकार्ड में अमल आ चुका है । परन्तु अपीलांट और रेस्पो0 संख्या 01 ने साजबाज होकर तहत न्यायालय में वाद पत्र दायर कर लिया और मुझे पक्षकार नहीं बनाया । इसलिये मैं अदालत हाजा में आदेश 01 नियम 10 सी0 पी0 सी0 के तहत पक्षकार बना हूं । विवादित भूमि के 1/2 भाग का मैं खरीददार काबिज खातेदार हूं । इससे ना तो अपीलांट का और ना ही रेस्पो0 का कोई सम्बन्ध है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आराजी खसरा नम्बर 1879,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1880 एवं 1883 को लेकर विवाद है । इस सम्बन्ध में हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । जमाबन्दी सम्वत 2034 एवं 2038 में विवादित आराजी के 1/2 भाग पर वादी अपीलांट के पिता कबूलचन्द को तथा 1/2 भाग पर वादी व रेस्पो0 संख्या 01 के पिता बाबूलाल को खातेदार दर्ज किया हुआ है । कबूलचन्द ने अपने 1/2 हिस्से की वसीयत रेस्पो0 संख्या 01 जसवन्त के नाम कर दी थी और उस वसीयत के आधार पर इन्तकाल नम्बर 1848 जसवन्त के नाम दर्ज होकर वह खातेदार हो गया था और खातेदार दर्ज होने के बाद जसवन्त ने सिविल न्यायालय की डिक्री दिनांक 23.4.2004 की पालना में रेस्पो0 संख्या 02 बंशीलाल के पक्ष में पंजीकृत बयनामा करा दिया था । इस प्रकार जब विवादित आराजी की बाबत सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की जा चुकी है और उस डिक्री की पालना में विवादित भूमि का बयनामा रेस्पो0 संख्या 02 के पक्ष में हो चुका है तो ऐसी स्थिति में अब प्रस्तुत अपील में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं रह जाता है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.1.2003 यथावत रखे जाते हैं ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

01/10/19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 202/06 (48/2003) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रामस्वरूप पुत्र कबूलचन्द जाति सैनी हाल साकिन तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 जसवन्त पुत्र बाबूलाल जाति सैनी निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

2. बंशीलाल पुत्र मूलचन्द जाति सैनी निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,तिजारा दिनांक 31.1.2003

उपस्थित:– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0 सं0 2 :– श्री जनार्दन शर्मा

पर्चा डिक्री दिनांक 1.10.2019

अपील अपीलांट खारिज की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.1.2003 यथावत रखे जाते हैं ।

01/10/19

(कमल राम मीना)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner